न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कनवास, कोटा

पीठासीन अधिकारी :- निखिल टाक, आर.जे.एस.

एफआईआर नम्बर :- 64/2016 पुलिस थाना देवलीमांझी

सी.आई.एस. नम्बर :- 81/2016

मूल आपराधिक प्रकरण संख्या :- 391/2016

सी.एन.आर नंबर :- RJKT18-000061-2016

राजस्थान राज्य

बनाम

1. बीरम सिंह पुत्र देव सिंह तंवर निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश (दिनांक 02.04.2024 को निर्णय हो चुका है।)

2. मोर सिंह पुत्र लालचंद निवासी अंतरालिया (मृत्यु होने पर कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 06.01.2023)

3. हरिचंद पुत्र बिरमलाल निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश।

4. शिवसिंह पुत्र अमरसिंह निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश (दिनांक 02.04.2024 को निर्णय हो चुका है।)

अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता 1860

भाग- प्रथम दिनांक- 25.06.2026

(A)

परिवादी	श्री धर्मराज पुत्र छीतरलाल उम्र 28 साल निवासी राजपुरा पुलिस थाना देवलीमांझी जिला कोटा
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. बीरम सिंह पुत्र देव सिंह तंवर निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश 2. मोर सिंह पुत्र लालचंद निवासी अंतरालिया 3. हरिचंद पुत्र बिरमलाल निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश। 4. शिवसिंह पुत्र अमरसिंह निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से

Authenticated Document

अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी

(B)

अपराध की दिनांक	06.06.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	07.06.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09.08.2016
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक	02.09.2023
निर्णय दिनांक	25.06.2026
दोषसिद्धि/दोषमुक्ति की दिनांक	25.06.2026

(C)

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्रम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जा.फौ.के उद्धेश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	बीरम सिंह पुत्र देव सिंह तंवर			379 आईपीसी	दोषमुक्त		
2.	मोर सिंह पुत्र लालचंद			379 आईपीसी	(मृत्यु होने पर कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 06.01.2023)		
3.	हरिचंद पुत्र बीरमलाल			379 आईपीसी	दोषमुक्त		
4.	शिवसिंह पुत्र अमरसिंह			379 आईपीसी	दोषमुक्त		

भाग- द्वितीय

अभियोजन गवाहान की सूची

अ- अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह,विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.- 1	धर्मराज	ताईद एफआईआर, जप्ती भैंस, मेटाडोर, नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.- 2	छीतरलाल	ताईद घटना, फर्द अस्थाई सुपुर्दगी भैंसे
पी.डब्ल्यू.- 3	राकेश	ताईद घटना व फर्द अस्थाई सुपुर्दगी भैंसे

Authenticated Document

पी.डब्ल्यू.- 4	राजेन्द्र	ताईद नक्शा मौका, फर्द जप्ती भैंसे व मेटाडोर, तस्दीक घटनास्थल फर्द
पी.डब्ल्यू.- 5	छोटुलाल	ताईद अस्थाई सुपुर्दगी भैंसे
पी.डब्ल्यू.- 6	सुरेश सिंह	हालात तफतीश
पी.डब्ल्यू.- 7	देवेन्द्र	ताईद घटना व फर्द अस्थाई सुपुर्दगी भैंस

अभियोजन प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी-1	तहरीर रिपोर्ट
प्रदर्श पी-2	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी-3	घटनास्थल नक्शा मौका
प्रदर्श पी-4	फर्द जप्ती
प्रदर्श पी-5	मेटाडोर
प्रदर्श पी-6	सुपुर्दगी भैंसे व पाडा
प्रदर्श पी-7	फर्द तस्दीक घटनास्थल
प्रदर्श पी-8	फर्द तस्दीक घटनास्थल निशानदेही मुलजिम शिव सिंह
प्रदर्श पी-9	फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम हरिशचन्द
प्रदर्श पी-10	फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम मोर सिंह
प्रदर्श पी-11	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम बीरम
प्रदर्श पी-12	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मोरसिंह
प्रदर्श पी-13	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम हरिशचन्द
प्रदर्श पी-14	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम शिवसिंह
प्रदर्श पी-15	स्वैच्छिक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
प्रदर्श पी-16	स्वैच्छिक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
प्रदर्श पी-17	स्वैच्छिक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
प्रदर्श पी-18	स्वैच्छिक धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
प्रदर्श पी-19	फर्द सुपुर्दगी वाहन पिकअप

-निर्णय- दिनांक 25.06.2026

1. यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मोरसिंह पुत्र लालचंद की मृत्यु दिनांक 06-01-23 को होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है तथा मुलजिमान बीरम सिंह व शिव सिंह पर निर्णय दिनांक 02.04.2026 को दिया जा चुका है। अतः यह फैसला मात्र अभियुक्त हरिचंद की हद तक किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07-06-2016 को समय 6 एएम पर प्रार्थी धर्मराज पुत्र छीतरलाल ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने 7

भैंसे व 1 पाडा पाल रखे हैं। कल दो भैंस व एक पाडा पानी पीने के लिए छोड़े थे बाकी भैंसे वापस आ गई लेकिन उक्त दो भैंस व एक पाडा वापस नहीं आया। उसने तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके भैंस व पाडा को चुराकर ले गया। भैंसे व पाडा सुनारी तलाई पर बैठे थे वहां से चोरी हुई है.....इत्यादि।

3. उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना देवलीमांझी द्वारा प्रकरण संख्या 64/16 अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा0 दं0 सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. उक्त आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा0 दं0 सं0 का दण्डनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से प्रकरण में पीडब्ल्यू-1 धर्मराज, पीडब्ल्यू-2 छीतरलाल, पीडब्ल्यू-3 राकेश, पीडब्ल्यू-4 राजेंद्र, पीडब्ल्यू-5 छोटूलाल, पीडब्ल्यू-6 सुरेश सिंह, पीडब्ल्यू-7 देवेंद्र को पेश कर उनके बयानात् लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी-3 फर्द नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी-4 फर्द जप्ती दो भैंस व एक पाडा, प्रदर्श पी-5 फर्द जप्ती मेटाडोर, प्रदर्श पी.6 फर्द सुपुर्दगी भैंस व पाडा, प्रदर्श पी.7 फर्द तस्दीक घटनास्थल बीरमसिंह, प्रदर्श पी.8 फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम शिवसिंह, प्रदर्श पी.9 फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिम हरिचंद, प्रदर्श पी.10 फर्द तस्दीक घटनास्थल मोरसिंह, प्रदर्श पी.11 लगायत प्रदर्श पी.14 फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान बीरमसिंह, मोरसिंह, हरिसिंह व शिवसिंह, प्रदर्श पी.15 लगायत प्रदर्श पी.18 सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्तगण, प्रदर्श पी.19 फर्द सुपुर्दगी वाहन पिकअप पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अभियुक्त को समझाया जाकर उसके धारा 313 सीआरपीसी के तहत् बयान मुलजिम लिये गये जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुये साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

7. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखिकीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि प्रकरण में अभियुक्त को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान् के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

9. प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है:-

Authenticated Document

(क) क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 06-06-16 को किसी समय जब कि परिवादी ने अपनी दो भैंस व एक पाडा को पानी पीने के लिए छोड़ रखा था तो परिवादी की उक्त भैंस व एक पाडा को उनके स्वामी की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया?

(ख) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड को भुगतने का हकदार है?

10. उक्त बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है जिसके निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के परिवादी धर्मराज को गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के तौर पर परीक्षित करवाया गया है जिसने अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया है कि दिनांक 06.06.2016 को करीब 6-7 बजे सुबह मेरे पास कुल 7 भैंसे व एक पाडा था जिन्हें चरने के लिए छोडा था। उस दिन शाम को बाकी भैंसे तो चरकर वापस आ गई किन्तु 2 भैंसे व एक पाडा वापस घर पर नहीं आए जिनकि किमत करीब डेढ लाख रूपए थी। उन्हें कोई अनजान व्यक्ति चुराकर ले गया। गवाह द्वारा जाहिर किया कि भैंस व पाडा सुनारी तलाई के वहां से चोरी हुआ था जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गये थे। मैंने चोरी की रिपोर्ट पुलिस थाना देवलीमांझी में पेश की जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है जिस पर ए से बी दो जगह मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरी निशादेही में बनाया हुआ घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। गवाह द्वारा जाहिर किया कि पुलिस द्वारा मेरे बताए हुए हुलिए के 2 भैंसे व पाडे के लिए पहचान देने के लिए बुलाया तो वहां पर शिव सिंह, वीरम, चंदा लाल आदि ये सब भैंसे व पाडा बरामद किए थे व मेरे द्वारा मेरी भैंसों को पहचानकर बताया गया था। पुलिस द्वारा फर्द जप्ती बनाई गई जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिस मेटाडोर में वह भैंसों को भरकर ले जा रहे थे उसे भी जब्त किया जो प्रदर्श पी-5 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

11. इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में जब्ती के गवाहान पी.डब्ल्यू. 3 राकेश व पी.डब्ल्यू. 4 राजेन्द्र को परीक्षित करवाया गया जिन्होंने अपने बयानों में भैंसों की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 व मेटाडोर की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-5 को उनके समक्ष बनाए जाने के तथ्य की ताईद की है व गवाह पी.डब्ल्यू. 3 राकेश के द्वारा अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया है कि मेरी भैंसों को मेटाडोर में भरते हुए नहीं देखा व यह कहना सही है कि मैंने भैंसों को सुनारी तलाई से आल्याहेडी रोड की तरफ आते हुए नहीं देखा। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 4 के द्वारा भी अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया है कि यह बात सही है कि मैंने भैंसों को चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा है। इस स्तर पर प्रदर्श पी-4 फर्द जब्ती का अवलोकन किया जाए तो उक्त फर्द जब्ती दिनांक 07.06.2016 को बनाई जाना जाहिर होता है जिस पर सी से डी गवाह राकेश व आई से जे गवाह राजेन्द्र के हस्ताक्षर होना जाहिर होते हैं व फर्द जब्ती में वर्णित तथ्यों के तहत दो भैंसे व एक पाडे की जब्ती होना जाहिर होता है जिसकी ताईद जब्ती के गवाहान पी.डब्ल्यू. 3 व पी.डब्ल्यू. 4 द्वारा अपने बयानों में की गई है।

Authenticated Document

12. इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि गवाह पी.डब्ल्यू. 3 व पी.डब्ल्यू. 4 के द्वारा अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया है कि उनके द्वारा किसी को भी भैंसे चोरी करते हुए नहीं देखा और ना ही भैंसों को मेटाडोर में भरते हुए देखा है। उक्त तथ्य पर न्यायालय का मत यह है कि चोरी के अपराध में किसी चक्षुदर्शी साक्ष्य का उपलब्ध होना सामान्यतः संभव नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष को Circumstantial Evidence के तहत ही घटना के तथ्यों की कडी से कडी जोडकर ही यह संदेह से परे साबित करना होता है कि चोरी के प्रकरण में परिवादी द्वारा जिस सामान की चोरी होने का तथ्य जाहिर किया गया है वह चोरीशुदा सामान को प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा ही चुराया गया था।

उक्त आधार पर यदि हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी सुरेश सिंह गवाह पी.डब्ल्यू. 6 के बयानों का अवलोकन किया जाए तो उक्त गवाह के द्वारा अपने बयानों में यह तथ्य जाहिर किया जाता है कि प्रकरण संख्या 64/16 अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी का अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया था व दौराने अनुसंधान फरियादी धर्मराज गवाह छीतरलाल, देवेन्द्र, देवलीबाई आदि के बयान अन्तर्गत धारा 169 सीआरपीसी के अन्तर्गत लेखबद्ध किए गए थे। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त हरीचन्द पुत्र वीरमलाल को जरिए फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया था। गवाह द्वारा जाहिर किया कि अभियुक्त हरीचन्द के द्वारा स्वैच्छिक रूप से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी थी जो प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व X स्थान पर अभियुक्त हरीचन्द के हस्ताक्षर है। गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया कि धारा 27 की सूचना के आधार पर घटनास्थल का फर्द नक्शा मौका बनाया जो क्रमशः पी-7 लगायत पी-10 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है व X स्थान पर अभियुक्त के अंगूठा स्थान व हस्ताक्षर है। इसके पश्चात दौराने तलाशी अभियुक्त हरीचन्द से चुराई हुई 2 भैंस व एक पाडा जब्त किया जिसकी शिनाख्तगी फरियादी से करवाई गई और फरियादी द्वारा भैंस व पाडा उसी का होना बताया जिस पर भैंस व पाडे को कब्जा पुलिस लेकर फर्द जब्ती बनाया जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है।

इस स्तर पर अभियुक्त के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-15 का अवलोकन किया जाए तो उक्त सूचना में अभियुक्त के द्वारा यह तथ्य जाहिर किया है कि मैंने जिस स्थान से 2 भैंस व एक पाडे को पिकअप में चढाकर लाए थे वह स्थान मैं चलकर बता सकता हूं। अभियुक्त के द्वारा दी गई उक्त धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना से अनुसंधान अधिकारी को जो डिस्कवरी ऑफ फेक्ट हुआ है वह किस स्थान से चोरी की गई थी उस स्थान का होना जाहिर होता है परन्तु हस्तगत पत्रावली में अभियुक्त के द्वारा ऐसी कोई सूचना दी जाना जाहिर नहीं होता है जिससे पुलिस को यह डिस्कवरी ऑफ फेक्ट हुआ हो कि जो 2 भैंस व एक पाडा चोरी हुए थे वह किस स्थान पर रखे हुए हैं या किसके कब्जे में रखे हुए हैं। ऐसे में इस तथ्य पर संदेह उत्पन्न होता है कि यदि अभियुक्त के द्वारा जिस स्थान पर

Authenticated Document

चोरी किया हुआ माल रखा हुआ है उस स्थान की सूचना ही पुलिस को नहीं दी गई तो किस प्रकार से पुलिस के द्वारा जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 उन दो भैंसों व एक पाडे को जब्त किया गया। क्योंकि प्रकरण में फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 का अवलोकन किया जाए तो जिस जगह से दो भैंसे व एक पाडे को जब्त किये जाने का तथ्य वर्णित होता है वह जगह नदी कालीसिंध घानाहेडा होना जाहिर होती है परन्तु वह तथ्य पर संदेह उत्पन्न होता है कि यदि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा ऐसी कोई सूचना ही नहीं दी गई कि जो दो भैंसे व एक पाडा चोरी हुए हैं वह नदी कालीसिंध घानाहेडा पर उसके द्वारा रखे हुए हैं तो ऐसे में किस प्रकार से अनुसंधान अधिकारी को यह ज्ञात हुआ कि चोरी की हुई भैस उस जगह रखी हुई है। इस तथ्य के संदर्भ में अनुसंधान अधिकारी की ओर से कोई तथ्य भी जाहिर नहीं किया गया है।

13. इसके अतिरिक्त प्रकरण में परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के द्वारा यह जाहिर किया जाता है कि उसके द्वारा भैंसों व पाडे की पहचान की गई थी परन्तु हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा परिवादी से जब्तशुदा माल की फर्द शिनाख्तगी करवाई गई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है व ना ही इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 6 के द्वारा यह तथ्य जाहिर किया गया है कि हस्तगत प्रकरण के जब्तशुदा माल की शिनाख्तगी परिवादी के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो। ऐसे में इस तथ्य पर भी संदेह उत्पन्न होता है कि किस प्रकार से परिवादी के द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा माल को स्वयं का होना बताया गया है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं हेाता है कि प्रकरण में जो दो भैंसे व एक पाडा जब्त हुआ है वह अभियुक्त हरीचन्द के कब्जे से ही जब्त हुआ हो।

अतः उक्त तथ्यों व आधारों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय का मत यह है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 07.06.2016 को परिवादी की जो दो भैंसे व एक पाडा गुम हो गए थे वह अभियुक्त हरिचन्द के द्वारा ही चुराए गए हो। अतः अभियुक्त हरिचन्द पुत्र वीरम लाल निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

14. परिणामस्वरूप **अभियुक्त हरिचंद पुत्र बिरमलाल निवासी बोरदा थाना भोजपुर मध्यप्रदेश** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15. प्रकरण में जब्तशुदा भैंस व पाडा तथा मेटाडोर सुपुर्दगी पर है।

16. अभियुक्त के पूर्व में न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा उक्त अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि वह धारा 437ए

Authenticated Document

दं.प्र.सं. के तहत 10 हजार रुपए की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका 6 माह की अवधि के लिए इस बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक कराए कि इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के द्वारा नोटिस भेजकर तलब किए जाने पर वे माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होंगे।

(निखिल टाक)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कनवास, जिला कोटा

17. निर्णय आज दिनांक 25.06.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(निखिल टाक)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कनवास, जिला कोटा

AYUSH SHARMA
Digitally signed by AYUSH SHARMA
Date: 2026.07.01 12:21:56 +0530

Authenticated Document